## <u>न्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड</u> (आप.प्रक.क. :— 481/2016)

(संस्थित दिनांक :- 11/08/16)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

...... अभियोजन।

## // विरूद्ध //

01. बादशाह जाटव पुत्र उदयभान जाटव उम्र 26 वर्ष निवासी :— ग्राम जितवार सिंह का पुरा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड (म.प्र.) ......अभुयक्त।

01. आरोपी बादशाह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा :— 279, 337 "02 काउण्ट" एवं 338 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 10/07/2016 को दोपहर लगभग 04:30 बजे गोहद मैन रोड़ से रसनोल रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति वेन क्रमांक एम.पी.07/ई/1094 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी रूप सिंह एवं लल्ला बेटी को टक्कर मारकर उपहित एवं आहत कदम सिंह को टक्कर मारकर अस्थिमंग कारित कर घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष में मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 10/07/2016 को दोपहर लगभग 04:30 बजे गोहद मैन रोड़ से रसनोल रोड़ पर, मारूति वेन क्रमांक एम.पी.07/ई/1094 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे, उसकी पत्नी लल्लाबेटी एवं उसके बेटे कदम सिंह को उपहित कारित करने की रिपोर्ट उसी दिनांक को फिरयादी रूप सिंह द्वारा थाना मौ में लिखाई जाने पर वाहन मारूति वेन क्रमांक एम. पी.07/ई/1094 के चालक के विरूद्ध देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना मौ में उक्त वाहन मारूति वेन क्रमांक एम.पी.07/ई/1094 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 134/2016 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत कदम सिंह की एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग का उल्लेख होने पर आरोपी के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 338 का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। वाहन मारूति वेन क्रमांक एम.पी.07/ई/1094 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी बादशाह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तश्रदा

वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी रूप सिंह, लल्लाबेटी एवं कदम सिंह के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त बादशाह के विरूद्ध धारा 279, 337 ''02 काउण्ट'', 338 भा.द.सं. एवं 146 / 196 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी एवं आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 ''02 काउण्ट'' एवं 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
  - 01. क्या आरोपी बादशाह ने दिनांक : 10/07/2016 को दोपहर लगभग 04:30 बजे गोहद मैन रोड़ से रसनोल रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति वेन क्रमांक एम.पी.07/ई/1094 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलांकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
  - 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?
  - 03. अंतिम निष्कर्ष ?

## <u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> <u>विचारणीय बिन्दु कमांक :– 01 एवं 02</u>

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फरियादी रूप सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 29/09/2016 से लगभग तीन माह पूर्व की होकर शाम के चार—साढ़े चार बजे की है। वह अपनी मोटर साईकिल से रिश्तेदारी बाखौली से अपने घर मुढ़ैना जा रहा था। उसके साथ उसका लड़का कदम सिंह एवं पत्नी लल्लाबेटी भी थी। जैसे ही वह लोग रसनोल रोड़ पर पहुँचे तो एक गाड़ी ने सामने से आकर उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह तीनों गिर गये। साक्षी आगे कहता है कि उसके लड़के कदम सिंह के सिर में, शरीर में एवं

माथे में चोट आई थी। घटना की सूचना उसने डायल 100 को दी थी। उसने पुलिस थाना मौ में इस संबंध में देहाती नालसी लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसका अंगूठा निशान है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया था, जो प्र.पी. 02 है, जिस पर उसका अंगूठा निशान है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी रूप सिंह अ.सा.01 ने आरोपी बादशाह द्वारा दिनांक : 10/07/2016 को दोपहर लगभग 04:30 बजे गोहद मैन रोड़ से रसनोल रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति वेन कमांक एम.पी.07/ई/1094 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया हैं। इस वावत् फरियादी रूप सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 08. आहतगण कदम सिंह अ.सा.02 एवं लल्लाबेटी अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी बादशाह द्वारा दिनांक : 10/07/2016 को दोपहर लगभग 04:30 बजे गोहद मैन रोड़ से रसनोल रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति वेन कमांक एम.पी.07/ई/1094 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया हैं और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी ने दिनांक 10/07/2016 को दोपहर लगभग 04:30 बजे गोहद मैन रोड़ से रसनोल रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति वेन क्रमांक एम. पी.07/ई/1094 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?
- 10. अभियोजन आरोपी बादशाह के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 भा.दं.सं. एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. प्रकरण में जब्तशुदा मारूति वेन क्रमांक एम.पी.07 / ई / 1094 उसके पंजीकृत स्वामी अमृतलाल के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

4

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद